

# न्यायालय अपर समाहर्ता, बोकारो।

एल0सी0 अपील वाद संख्या-10/2012  
(रमण चन्द्र शर्मा बनाम् श्रीमति रेखा कुमारी एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं०  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग  
कार्रवाई के बारे  
टिप्पणी तारीख सं


20.09.2019

प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के न्यायालय का भू-हदबंदी वाद संख्या-03/2009-10 (रमण चन्द्र शर्मा बनाम् श्रीमति रेखा कुमारी एवं अन्य) में पारित अंतिम आदेश दिनांक 05.03.2012 के विरुद्ध श्री रमण चन्द्र शर्मा, पिता स्व० सुखलाल शर्मा, ग्राम-नावाडीह, पोस्ट-चिकिसिया, थाना-चास (मु०), जिला-बोकारो के द्वारा यह अपील वाद इस न्यायालय में लाया गया है।

विवादित भूमि मौजा नावाडीह, खाता नं०-10, प्लॉट नं०-03, रकवा-0.14 एकड़।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किये गये Written Argument एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष (अपीलार्थी) का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के न्यायालय में धारा 16(3) एल०सी० एक्ट के तहत एल०सी० वाद संख्या-03/2009-10 दायर किया गया। चूंकि मौजा नावाडीह थाना संख्या-28 के अन्तर्गत खाता संख्या-10 के प्लॉट संख्या-03 में से उत्तरार्थी संख्या-02 श्रीमति ममता वाला देव्या पति स्व० गंगाधर शर्मा ने निज अंश रकवा 14 डिसमिल भूमि जो बाईद खेत अर्थात् तीन नम्बर धान खेत है, विलेख संख्या 664, दिनांक 10.02.2009 के तहत उत्तरार्थी सं०-01 श्रीमति रेखा कुमारी, पति श्री अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी को 25000.00 (पचीस हजार रू०) प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दिया, जिसकी चौहद्दी-उत्तर गरगा नदी, दक्षिण-कंठी शर्मा, पूरब-सुधीर शर्मा एवं पश्चिम-प्रह्लाद शर्मा उल्लेख किया गया है। पूर्ण विवरण आवेदन तहत धारा 16(3) भूमि सुधार अधिनियम के



आदेश की क्रम सं०  
और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तफशील में अंकित है। आवेदक का दावा आवेदक के सह हिस्सेदार रैयत होने का है. चूँकि:-

(क) खतियान खाता सं०-10 रैयत 1. खुदु माहथा एवं भीम माहथा के नाम दर्ज है।

(ख) रैयत खुदु माहथा ने पार्टीसन सुट संख्या-19/1942 सब जज पुरुलिया में दाखिल किया। फलस्वरूप अधिवक्ता आयुक्त द्वारा फाईनल डिक्री के तहत बंटन नामा किया गया।

(ग) इस बंटन नामा के तहत खाता संख्या-10, प्लॉट सं०-03, रकवा-57 डिसमिल वादी खुदु माहथा को आवंटित किया गया।

(घ) खुदु माहथा तदनुसार अलग दखलकार के दौरान अपने पुत्र 1. ब्रजु 2. सुखलाल, 3. विश्वेश्वर एवं 4. ईश्वर मणि को छोड़कर मरे। ब्रजु अपने पुत्र 1. शशिभूषण 2. गंगाधर एवं खेतु लाल को छोड़कर मरे, खेतुलाल निसंतान मरे।

शशिभूषण अपने पुत्र-1. सुधीर 2. पाण्डव शर्मा को छोड़कर मरे। गंगाधर अपनी विधवा ममता देव्या को छोड़कर मरे। सभी संयुक्त रूप से खेदु को प्राप्त कुल सम्पत्ति के 1/4 का हिस्सेदार हुए। अतः ममता को 1/8 एवं सुधीर को 1/8 हिस्सा प्राप्त होगा।

(च) सुखलाल अपने एकमात्र पुत्र रमण शर्मा को छोड़कर मरे। अतः रमण शर्मा अकेला खेदु को छोड़ी भू-सम्पत्ति के 1/4 का हिस्सेदार हुए।

(छ) विश्वेश्वर शर्मा अपने जीवन काल में अपना 1/3 हिस्सा (अविभाजित) एवं ईश्वरमणि की विधवा इंजरीवाला देव्या ने अपना 1/8 हिस्सा (अविभाजित) रमण शर्मा को बेच दिया।

वस्तुतः सम्पूर्ण भू-सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति है। अतः बिना विभाजन के प्रत्येक

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग  
कार्रवाई के बारे  
टिप्पणी तारीख साँ

प्लॉट में हिस्सा है। फलस्वरूप विवादित प्लॉट सं०-०३, खाता सं०-१० कुल रकवा-५७ डिसमिल में से १४ डिसमिल भूमि विपक्षी रेखा कुमारी को विक्रय कर दिया, जबकि इस १४ डिसमिल में आधार ०७ डिसमिल सुधीर एवं पाण्डव के हिस्से की जमीन है, बाकि ४३ डिसमिल भूमि का सह हिस्सेदार रमण शर्मा आवेदक है।

संबंधित आवेदक विवादित विक्रीत भूमि का सह हिस्सेदार है, जबकि क्रेता विपक्षी रेखा जी का प्लॉट सं०-०३ से दूर से भी संबंध नहीं है। आवेदक द्वारा संबंधित वाद को निम्न न्यायालय को रिमाण्ड करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गये अपीलवाद चलने योग्य नहीं है। चूँकि अपीलार्थी ने संबंधित भूमि का निकटवर्ती रैयत होने का कोई प्रमाण अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा संबंधित भूमि आवासीय योग्य भूमि है, जिसे मकान बनाने के उद्देश्य से केवाला संख्या-६६४, दिनांक १०.०२.२००९ के द्वारा कुल ०.१४ एकड़ भूमि क्रय किया गया है। संबंधित भूमि का किस्म आवासीय रहने के कारण Land ceiling Act की धारा १६ (३) लागू नहीं होता है तथा प्रतिपक्षी के द्वारा इस अपीलवाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गये लिखित बहस एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा केवाला संख्या-६६४, दिनांक १०.०२.२००९ के द्वारा मौजा-नावाडीह, खाता नं०-१०, प्लॉट नं०-०३, रकवा-०.१४ एकड़ भूमि क्रय की गई है। क्रय की गई भूमि आवासीय योग्य भूमि है। अपीलार्थी द्वारा अपने निकटवर्ती रैयत होने एवं


आदेश की क्रम सं०  
और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अपने दावा के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसे उनके द्वारा किये जा रहे दावा को बल मिल सके। इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के न्यायालय का भू-हदबंदी वाद संख्या-03/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2012 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल किये गये अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
बोकारो।

  
अपर समाहर्ता,  
बोकारो।

C. C. Issued Vide

No. 4272 Dated 17/10/19